मैनुअल–3

निर्णय लेने की प्रक्रिया:

विभाग के द्वारा विहित नॉर्मस के तहत सेक्रेटेरियट मैनुअल एवं रूल्स ऑफ एक्जक्यूटिव विजनेश के तहत स्थापित प्रक्रिया के आलोक में सचिवालय एवं निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में स्थापित नॉर्मस का अनुपालन करते हुए विभाग द्वारा अगर किसी प्रकार के संशोधन या नया प्रस्ताव दिया जाता है तो उसे विधि विभाग द्वारा जाँच पड़ताल किया जाता है तथा विधि विभाग से क्लीयरेन्स के बाद विभाग द्वारा प्रारूप तैयार किया जाता है एवं प्रारूप अनुमोदनोंपरान्त उसका कार्यान्वयन विभाग द्वारा दिशा निदेशित किया जाता है।

सचिवालय स्तर से निर्णय सचिव, सहकारिता द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाता है तथा निदेशालय स्तर पर निर्णय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा लिया जाता है। निर्णय की संसूचना विभाग स्तर से परिपत्र के द्वारा किया जाता है जिसकी जानकारी विभिन्न स्तर पर बैठक एवं सेमिनार का आयोजन कर दिया जाता है।विषय जिसपर निर्णय लिया जाता है–

- अल्पावधि/मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण के लिए लक्ष्य का निर्धारण।
- ऋण वितरण के लिए प्रक्रिया का निर्धारण।
- सहकारी समिति में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।
- सहकारी एवं सरकारी ऋण वितरण/ऋण वसूली के लिए लक्ष्य का निर्धारण।
- राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारी के स्थानान्तरण पदस्थापना के संबंध में नीति निर्धारण।
- समितियों के विकास हेतु जिला का चयन।